चयनित मूल्यवर्धित कृषि उत्पादों के लिए बाजार के आकलन और उनके निर्यात को बढ़ाने हेतु संज्ञान पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए एजेंसी की नियुक्ति

1. एपीडा के बारे में

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) भारत का एक प्रमुख संगठन है जो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देता है। यह बाजार विकास , गुणवत्ता नियंत्रण और प्रमाणन जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान करके इन उत्पादों की निर्यात क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एपीडा निर्यातित उत्पादों की गुणवत्ता और मानकों को बनाए रखने का भी कार्य करता है और वैश्विक बाजारों में भारतीय निर्यातकों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाता है।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) अधिनियम , 1985, (1986 का 2) के अनुसार निम्नलिखित कार्य प्राधिकरण को सौंपे गए हैं:

- निर्यात हेतु अनुसूचित उत्पादों से संबंधित उद्योगों का विकास
- अनुसूचित उत्पादों के निर्यातकों का पंजीकरण
- निर्यात के उद्देश्य से अनुसूचित उत्पादों के लिए मानकों और विशिष्टताओं को निर्धारित करना
- ऐसे उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मांस और मांस उत्पादों का निरीक्षण करना
- अनुसूचित उत्पादों की पैकेजिंग और विपणन में सुधार करना
- निर्यातोन्मुखी उत्पादन को बढ़ावा देना
- साइट पर अनुसूचित उत्पादों के आंकड़ों का संग्रह और उसका प्रकाशन
- उद्योगों के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण
- यथा निर्धारित ऐसे अन्य मामले।

एपीडा के अनुसूचित उत्पाद भारत से होने वाले कृषि निर्यात का आधे से अधिक हिस्सा हैं और इसमें ताजे फल और सब्जियों से लेकर प्रसंस्कृत खाद्य तक 17 व्यापक उत्पाद श्रेणियां शामिल हैं।

2. पृष्ठभूमि और औचित्य

चूंकि भारत दुनिया के अग्रणी व्यापारिक देशों में से एक बनने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, इसलिए यह आवश्यक है कि हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के नाते कृषि इस प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। भारत से कुल निर्यात मूल्य में कृषि उत्पादों की हिस्सेदारी करीब 11% है और यह क्षेत्र भारत की 45% आबादी को रोजगार प्रदान करता है। वर्ष 2022 में 2.45% हिस्सेदारी के साथ भारत विश्व कृषि निर्यात में 8वें स्थान पर है। इस प्रकार यह परिकल्पना की गई है कि विश्व कृषि निर्यात में भारत की रैंक निकट भविष्य में बढ़ेगी , जिससे भारत अखिल विश्व में अग्रणी कृषि निर्यातकों में से एक बन जाएगा।

3. <u>उद्देश्य</u>

उपरोक्त पृष्ठभूमि और तर्क को ध्यान में रखते हुए , एपीडा चयनित मूल्यवर्धित कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए अध्ययन करने हेतु इच्छुक है। चयनित एजेंसी प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के दायरे में चयनित मूल्य वर्धित उत्पादों की मूल्य श्रृंखला में कार्यरत हितधारकों के लिए कार्रवाई योग्य निरीक्षण और अनुशंसा उत्पन्न करने के लिए मूल्यांकन अध्ययन आयोजित करेगी।

4. <u>चयनित उत्पाद-</u>

1. जैम्स, जेलीस और मुरब्बा (एचएस 200799)
2. आम का गूदा (एचएस 8045040) और आम के मूल्यवर्धित उत्पाद (एचएस 20089911,20098910 और अन्य)
3. फलों के गूदे से बने उत्पाद (एचएस 22029920 और अन्य)
4. संरक्षित खीरा और ककड़ी (एचएस 20011000, 7114000)
5. निर्जलित सब्जियां (एचएस 7122000 और अन्य)
6. आलू (एचएस 20041000) और ग्राउंड नट (एचएस 20081100) तैयार और संरक्षित
7. बिस्कुट (एचएस 19053100)
8. मादक पेय - ब्लेन्डेड विस्की (एचएस 220830), माल्ट से बनी बीयर (एचएस 220300), रम (एचएस 220840), जिन (एचएस 220850), अनडिनेचर्ड एथिल अल्कोहल (एचएस 220710)
9. खाने के लिए तैयार / पकाने के लिए तैयार उत्पाद एवं जमे हुए उत्पाद (एचएस 20049000 और अन्य)
10. गुड़ और कन्फेक्शनरी (पीसी)
11. काजू एवं उसके उत्पाद
12. मिश्रण सहित अन्य (200819)

5. <u>कार्य-क्षेत्र</u>

1. समग्र रूप से प्रसंस्करण क्षेत्र का समग्र मैक्रो-विश्लेषण

- वैश्विक बाज़ार का आकार, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की वृद्धि की प्रवृत्ति
- विश्व स्तर पर मांग वाले प्रमुख उत्पादों की पहचान
- भारतीय प्रसंस्करण उद्योग का SWOT विश्लेषण
- प्रमुख प्रतिस्पर्धियों का विश्लेषण
- भारतीय उद्योग द्वारा आकस्मिक निर्यात संबंधी मुद्दों की पहचान।

2. चयनित मूल्यवर्धित उत्पादों के लिए बाजार का अध्ययन:

- प्रासंगिक हितधारकों की पहचान करना

- मुद्दों और संभावित अवसरों को समझने के लिए हितधारक परामर्श संचालित करना
- भारतीय और वैश्विक दोनों बाजारों में वर्तमान और अनुमानित निर्यात स्थिति का आकलन करके विकास अनुमान प्रदान करना
- आपूर्ति श्रृंखला अंतराल, मौजूदा प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन सुविधाओं की पहचान करना
- वर्तमान प्लेयर प्रोफ़ाइल और मौजूदा क्षमताएं विकसित करना
- उत्पादकता, आपूर्ति श्रृंखला परिवर्तन, बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और कौशल आवश्यकताओं के संदर्भ में मौजूदा सुविधाओं का अध्ययन करना

3. चयनित उत्पादों के लिए निर्यात प्रवृत्ति और पैटर्न का विश्लेषण

- चिह्नित उत्पादों का SWOT विश्लेषण करना
- पिछले पांच वर्षों में भारत से चयनित मूल्यवर्धित या प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों के निर्यात पैटर्न की जांच करना
- घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन मूल्यवर्धित उत्पादों के लिए उपभोक्ता व्यवहार के आधार पर मौजूदा बाजार प्रवृत्तियों का पता लगाना
- व्यवसाय और निर्यात को सक्षम करने वाले आवश्यक प्रमाणपत्रों , मानकों और निर्यात अनुपालनों की पहचान करना
- श्रेणी-वार नए और नवोन्वेषी उत्पादों की पहचान करना

4. चयनित उत्पादों के निर्यात की क्षमता का आकलन करना

- निर्यात क्षमता की पहचान करना और इसे मूल्यवर्धित उत्पादों के साथ मैप करना
- मौजूदा निर्यात डेटा का अध्ययन करना और संभावित निकासी क्षेत्रों/बाजारों की पहचान करना
- वर्तमान निर्यात संबंधी आपूर्ति श्रृंखला , बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक्स और नियमों का आकलन करना
- कार्य-निष्पादकता में सुधार के लिए निर्यात वृद्धि में बाधक चुनौतियों और बाधाओं की पहचान करना
- वैश्विक स्तर पर प्रमुख प्रतिस्पर्धियों का अध्ययन करना, उनकी बाजार हिस्सेदारी को समझना जिससे व्यावसायिक महत्ता प्राप्त हो
- एक मजबूत ब्रांड उपस्थिति बनाने के लिए तरीकों की अनुशंसा करते हुए प्रभावी विपणन और ब्रांडिंग योजना विकसित करना

5. प्रमुख हस्तक्षेपों की पहचान करना और चयनित उत्पादों के लिए कार्यान्वयन योजना विकसित करना

- संभावित निर्यात बाजारों के साथ उत्पादों की पहचान
- बाज़ारों तक पहुंच

- ब्रांडिंग और प्रचार
- निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समर्थकारी और संस्थागत प्रणाली (जैसे कर लाभ , सरकारी सहायता आदि)
- प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे (लॉजिस्टिक्स, प्रसंस्करण, पैकेजिंग आदि) तक पहुंच
- प्रमुख हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करना , प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अनुशंसा करना
- निर्यात में आपूर्ति श्रृंखला और अवरोध के लुप्त अंतराल की पहचान करना
- प्रमुख परिणाम क्षेत्रों (केआरए) के संबंध में प्रासंगिक हितधारकों की पहचान के साथ निर्यात के कार्य-निष्पादकता में सुधार के लिए एक कार्रवाई योग्य कार्यान्वयन योजना तैयार करना
- वित्त तक पहुंच
- कोई अन्य मुद्दा
- अन्य

6. <u>प्राथमिक सर्वेक्षण</u>

- एजेंसी को वैविध्यपूर्ण सर्वेक्षण करना चाहिए और संपूर्ण मूल्यांकन के लिए सर्वेक्षण की गई संस्थाओं के नाम , प्रयुक्त प्रश्नावली और उनकी प्रतिक्रियाओं जैसे विवरण प्रदान करना चाहिए।

7. <u>नियम एवं शर्तें</u>

क. एपीडा के दिशा-निर्देशों एवं मार्गदर्शन में अनुमोदित बोलीदाता कार्य करेगा। यह सुनिश्चित करना एजेंसी की एकमात्र जिम्मेदारी होगी कि एपीडा के लिए उनके द्वारा की गई सभी गतिविधियां कानूनी ढांचे के अनुसार हों।

ख. बोली मूल्य सभी लागू करों सहित केवल भारतीय रुपए में कोट की जाएंगी।

ग. इच्छुक पात्र एजेंसियां नई दिल्ली में देय एपीडा के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 2,00,000/- रु. (दो लाख रुपये मात्र) की बयाना जमा राशि (ईएमडी) सहित सहायक दस्तावेजों के साथ अनुलग्नक- I के अनुसार अपनी बोलियां जमा कर सकती हैं। वेंडर के चयन के बाद असफल बोलीदाता को ईएमडी वापस कर दी जाएगी। चयनित बोलीदाता के लिए, ईएमडी राशि अंतिम भुगतान में समायोजित की जाएगी।

घ. एजेंसी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह उनके द्वारा किराए पर लिए गए श्रमशक्ति सेवाओं के संबंध में स्थानीय कानूनों की प्रयोज्यता सुनिश्चित करे।

ङ. एजेंसी को बोली दस्तावेज़ के प्रत्येक पृष्ठ पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर करना अपेक्षित है। एपीडा के लिए आवश्यक है कि इस अनुबंध के तहत बोलीदाता समझौते की अवधि के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानक का पालन करें और वह किसी भी सतर्कता जांच से मुक्त हों । बोलीदाताओं को एपीडा को निविदा दस्तावेज

तैयार करने और जमा करने से जुड़ी लागत वहन करनी होगी।

च. एपीडा कार्य प्रदान करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा यदि यह निर्धारित किया जाता है कि प्रस्ताव के लिए अनुशंसित एजेंसी अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा में भ्रष्ट या धोखाधड़ी प्रथाओं में लिप्त है।

छ. एजेंसी किसी भी दावे , हानि, मुकदमे, देयता या इसकी संभावना के लिए एपीडा को क्षतिपूर्ति देगी। एक स्व-प्रमाणित उपक्रम प्रस्तुत करना होगा जिसमें उल्लेख किया गया हो कि एजेंसी को किसी भी सरकारी संगठन द्वारा ब्लैकलिस्ट में नहीं डाला गया है और यह आज की तारीख में लागू नहीं है।

ज. एपीडा के पास निम्न अधिकार सुरक्षित है:

- अपने विवेक से आवेदन/बोली दस्तावेज़ जमा करने की समय सीमा बढ़ाना।
- बिना कोई कारण बताए और एपीडा पर किसी भी दायित्व के बिना, अनुबंध/आदेश देने से पहले किसी भी समय किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करना।
- परियोजना को स्थगित करना, चयनित पार्टी के साथ अनुबंध को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से किसी भी समय रद्द करना यदि एपीडा की राय में यह जनहित में आवश्यक या समीचीन है। इस संबंध में एपीडा का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- एपीडा उपरोक्त कार्रवाई से हुई या उत्पन्न किसी भी क्षति या हानि के लिए भी जिम्मेदार नहीं होगा।
- अनुबंध के नियमों और शर्तों को संशोधित करना जो सफल बोलीदाता को बोली प्रक्रिया के बाद प्रदान किया जाएगा, यदि एपीडा की राय में, सार्वजनिक हित में या परियोजना के उचित कार्यान्वयन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है। इस संबंध में एपीडा का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- इस दस्तावेज़ के किसी भी खंड की व्याख्या के लिए, एपीडा का निर्णय अंतिम और बोलीदाता के लिए बाध्यकारी होगा।

8. . <u>तकनीकी और वित्तीय बोलियां जमा करने के लिए दिशानिर्देश</u>

बोली अनिवार्य रूप से निम्नानुसार प्रस्तुत की जानी चाहिए:

क. **मुहरबंद कवर A:** तकनीकी बोली के ऊपर **"भारत से मूल्यवर्धित कृषि उत्पादों के निर्यात बाजार को बढ़ाने के लिए अध्ययन"** लिखा हो। तकनीकी बोली में दृष्टिकोण, कार्यप्रणाली, कार्य योजना, टीम संरचना, टीम के सदस्यों के विस्तृत सीवी और कार्यान्वयन कार्यक्रम का विवरण निम्न सहित शामिल हो:

- आवेदन प्रपत्र (अनुलग्नक I)
- अनुक्रमिक रूप से प्रत्येक पात्रता मानदंड के एवज में सहायक दस्तावेज़। दस्तावेज़ों को भी उचित रूप से चिह्नित किया जाए।
- पिछले तीन वर्षों के तुलन-पत्र/खातों की लेखापरीक्षित विवरण, पी एंड एल खाता

ख. **मुहरबंद कवर B:** वित्तीय बोली के ऊपर **"भारत से मूल्यवर्धित कृषि उत्पादों के निर्यात बाजार को बढ़ाने के लिए अध्ययन"** लिखा हो। वित्तीय बोली में कर, यदि कोई हो, शामिल हो। यदि वित्तीय बोली में कर निर्दिष्ट नहीं है , तो इसे कर सहित वित्तीय बोली माना जाएगा , जिसका दायित्व बोलीदाता का होगा।

ग. **मुहरबंद मुख्य कवर**: दो मुहरबंद **कवर A और B** एक अलग कवर में रखे जाएंगे जिस पर **"भारत से मूल्यवर्धित कृषि उत्पादों के निर्यात बाजार को बढ़ाने के लिए अध्ययन"** लिखा हो।

9. <u>बोलीदाताओं के लिए पात्रता मानदंड</u>:

क. कृषि/बागवानी/खाद्य/कृषि-व्यवसाय के क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष के अनुभव के साथ भारत में निगमित निजी या सरकारी पंजीकृत परामर्शदाता/सलाहकार व्यक्तिगत फर्म/संगठन।

दस्तावेजी साक्ष्य जैसे कि संशोधनों यदि कोई हो; के साथ निगमन प्रमाणपत्र की स्पष्ट रूप से पढ़ने योग्य प्रतियां, सेवा कर पंजीकरण; पैन नंबर जमा करना होगा (इन्हें पात्रता मानदंड सं. 1 के अनुलग्नक के रूप में चिह्नित किया जाए)

ख. व्यक्तिगत फर्म का औसत टर्नओवर **कम से कम 5 करोड़ रुपये** हो।

पात्रता मानदंड के अनुलग्नक के रूप में चिह्नित निम्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रस्तुत किया जाए।

वर्ष	**कुल टर्नओवर (₹ करोड़)**
2022-23	
2021-22	
2020-21	

ग. अध्ययन के टीम लीडर के पास कृषि में न्यूनतम स्नातकोत्तर के साथ कम से कम 10 वर्ष का अनुभव और कृषि-व्यवसाय परामर्श में 5 वर्ष से अधिक का अनुभव हो।

घ. टीम के अन्य सदस्यों के पास कृषि-व्यवसाय में कम से कम स्नातकोत्तर/एमबीए के साथ 2-3 वर्ष का अनुभव हो।

ड. आवेदक / बोलीदाता को भारत में किसी भी केंद्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/न्यायिक आदेश द्वारा ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला गया हो। आवेदक को कोर्ट में लंबित या मुकदमेबाजी के तहत किसी भी मुद्दे का विवरण प्रकट करना होगा और मुकदमे का मूल्य प्रदान करना होगा। आवेदकों को घोषणा करनी होगी कि मुकदमेबाजी का संचयी मूल्य पिछले वित्तीय वर्ष में घोषित कुल निवल मूल्य का 10% से कम होगी।

च. एजेंसी के पास निम्न होना चाहिए:

i. पिछले 3 वर्षों में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय देशों में कृषि और संबद्ध उत्पादों के लिए एक से अधिक मूल्य श्रृंखला मूल्यांकन निष्पादित किया गया हो।

ii. पिछले तीन वर्षों के भीतर कृषि विकास के क्षेत्र में भारत सरकार या किसी भी केंद्रीय सरकारी संगठन के लिए कम से कम एक अध्ययन या एक असाइनमेंट पूरा किया हो।

10. <u>बोली समय-सीमा</u>

बोली पूर्व बैठक दिनांक 22/03/2024 को सुबह 11.00 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल, एपीडा, नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी।

बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि: बोलियां एपीडा कार्यालय**,** नई दिल्ली में 08/04/2024, शाम 5:00 बजे तक जमा की जानी चाहिए। **इस तिथि एवं समय के बाद प्राप्त बोलियां सीधे तौर पर अस्वीकार कर दी जाएंगी।**

निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर प्राप्त बोलियों का मूल्यांकन: निर्दिष्ट तिथि और समय के भीतर प्राप्त बोलियों का मूल्यांकन इस दस्तावेज़ में निर्दिष्ट पात्रता मानदंड पर किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए एपीडा द्वारा गठित समिति के समक्ष तकनीकी प्रस्तुति के लिए लघु सूचीबद्ध बोलीदाताओं को आमंत्रित किया जाएगा। इस संबंध में सूचना संबंधित बोलीदाताओं को आवेदन पत्र में दर्शाई गई ईमेल आईडी पर ईमेल की जाएगी।

चयन समय-सीमा (अस्थायी) निम्नानुसार दी गई है: :

क्र. सं.	**विवरण**	**निर्धारित तिथि**	**टिप्पणियां**
1.	बोली-पूर्व बैठल	22/03/2024 **सुबह 11:00 बजे**	
2.	एपीडा की वेबसाइट पर बोली-पूर्व बैठक का विवरण अपलोड करना	22/03/2024, **दिन के अंत तक**	
3.	बोली जमा करने की अंतिम तिथि	08/04/2024 **शाम 5:00 बजे**	
4.	तकनीकी मूल्यांकन के लिए बोलियाँ खोलना	10/04/2024 **सुबह 11:30 बजे**	
5.	बोलीदाताओं (टीम लीडर और सहयोगियों) द्वारा उक्त विषय पर लाइव प्रस्तुति और मूल्यांकन	10/04/2024 **(3:00 बजे तक)**	बोलीदाताओं की उपस्थिति में
6.	वित्तीय बोलियाँ खोलना		
7.	सर्वोच्च स्कोरर की घोषणा (ईमेल के माध्यम से सूचना)		

11. <u>तकनीकी प्रस्तुति के बाद योग्य बोलीदाताओं के लिए मानदंड</u>

इस उद्देश्य के लिए एपीडा द्वारा गठित समिति द्वारा तकनीकी बोलियों/प्रस्तुतियों को निम्नलिखित अंक संरचना के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा:

क्र. सं.	**मानदंड**	**अंक**
1.	प्रस्तावित टीम की प्रस्तुति , दृष्टिकोण, कार्यप्रणाली, गुणवत्ता और अनुभव	50
2.	भारत में परामर्शी अनुभव 10 वर्ष तक: 5 अंक 10 वर्ष या इससे अधिक: 10 अंक	10
3.	मूल्य श्रृंखला मूल्यांकन के क्षेत्र में पूर्ण किए गए अध्ययनों की संख्या 5 अध्ययनों तक: 5 अंक 5 वर्ष या इससे अधिक: 10 अंक	10
	कुल	**70**

12. <u>वित्तीय बोलियां खोलना</u>

तकनीकी प्रस्तुतियों में न्यूनतम 70% अंक (70 में से 49 अंक) प्राप्त करने वाले विक्रेताओं को शोर्ट लिस्ट किया जाएगा और केवल उनकी वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी। वित्तीय बोली अधिकतम 30 अंकों की होगी। अंकन की गणना में निम्नलिखित विधि होगी:

एल1 = 30 अंक

एल2 = 30 एक्सएल 1 (एल1 द्वारा कोट की गई लागत)/एल2 (एल2 द्वारा कोट की गई लागत) एल3, एल4 आदि के समान। (पक्षों की संख्या के आधार पर)।

वित्तीय अंकों को प्राप्त करने के पश्चात तकनीकी व वित्तीय बोली को शामिल किया जाएगा और जिस बोलीदाता ने अधिक अंक स्कोर किए होंगे उसका चयन किया जाएगा।

<u>टिप्पणी:</u>

एपीडा बोली-पूर्व बैठक या बोलीदाता बनने के लिए आवश्यक किसी भी अन्य जानकारी के बारे में केवल आवेदन प्रारूप में उनके द्वारा सूचित ईमेल आईडी पर ही भेजेगा।

13. <u>अपरिहार्य घटना</u>

यदि किसी भी समय, इस अनुबंध की निरंतरता के दौरान, किसी भी पक्ष द्वारा, इसके तहत किसी भी दायित्व के पूर्ण या आंशिक रूप से कार्य-निष्पादन, शत्रुता, या विरोध द्वारा, सार्वजनिक शत्रु के कार्य, नागरिक हंगामा, तोड़फोड़, राज्य या सांविधिक प्राधिकरण से निर्देश , एक्सप्लोज़न, महामारी, संगरोध प्रतिबंध, हड़ताल और तालाबंदी (जैसा कि ठेकेदार के प्रतिष्ठानों और सुविधाओं तक सीमित नहीं है), आग, बाढ़, प्राकृतिक आपदाएं (इसके बाद घटना के रूप में संदर्भित), बशर्ते कि ऐसी किसी भी घटना के होने की सूचना उसके घटित होने की तारीख से 15 कैलेंडर दिनों के भीतर प्रभावित पक्ष द्वारा दूसरे को दी जाती है, इस तरह की घटना के कारण कोई भी पक्ष इस अनुबंध को समाप्त करने का हकदार नहीं होगा, और न ही किसी भी पक्ष के पास इस प्रकार के गैर-निष्पादन या निष्पादन में देरी के संबंध में अन्य के विरुद्ध हानि के लिए ऐसा कोई दावा होगा, बशर्ते अनुबंध व्यावहारिक रूप से, ऐसी घटना के समाप्त होने के बाद जल्द से जल्द फिर से शुरू हो जाए। अध्यक्ष, एपीडा का निर्णय कि क्या सेवा को फिर से शुरू किया जा सकता है (और समय सीमा जिसके भीतर सेवा फिर से शुरू की जा सकती है) अंतिम और निर्णायक होगा, बशर्ते कि यदि कार्य-निष्पादन पूर्ण या आंशिक रूप से इस अनुबंध के तहत दायित्व को 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए ऐसी किसी भी घटना के कारण रोका या विलंबित किया जाता है, कोई भी पक्ष अपने विकल्प पर अनुबंध को समाप्त कर सकता है।

14. <u>विवाद समाधान और मध्यस्थता</u>

14.1. इससे उत्पन्न होने वाले विवाद के सभी मामले भारतीय कानून द्वारा अधिशासित होंगे और केवल नई दिल्ली में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।

14.2. दोनों पक्ष सुलह के माध्यम से किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।

14.3. इसके संबंध में अनसुलझे समझौते के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, विवाद या मतभेद की स्थिति में (मामलों को छोड़कर, निर्णय जो विशेष रूप से इस समझौते के तहत प्रदान किया गया है) इसे भारतीय मध्यस्थतम और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार अध्यक्ष , एपीडा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा और दिया गया निर्णय पार्टियों पर बाध्यकारी होगा

14.4. भारतीय मध्यस्थतम और सुलह अधिनियम 1996 (समय-समय पर यथासंशोधित) के प्रावधान दोनों पक्षों पर लागू होंगे। मध्यस्थतम कार्यवाही का स्थान एपीडा कार्यालय या अध्यक्ष, एपीडा द्वारा निर्धारित किया गया कोई अन्य स्थान होगा।। पूर्वोक्त किसी भी संदर्भ पर, कार्य हेतु कार्यवाही में लागत और आकस्मिक खर्चों का आकलन अध्यक्ष, एपीडा के विवेक पर होगा।

14.5. मध्यस्थतम को देय शुल्क का भुगतान दोनों पक्षों द्वारा समान रूप से किया जाएगा। मध्यस्थतम कार्यवाही में प्रयुक्त भाषा अंग्रेजी होगी।

15. <u>क्षतिपूर्ति:</u>

एजेंसी एपीडा और उसके अधिकारियों/कर्मचारियों को किसी भी और सभी कार्यवाही , कार्रवाई, हानि, क्षति, व्यय, लागत के विरुद्ध और तीसरा पक्ष किसी भी तरह का दावा करता है , चाहे वह वित्तीय हो या अन्यथा , जिसमें ईपीएफओ/ईएसआईसी/सरकारी विभागों/स्थानीय निकायों/सांविधिक प्राधिकरणों आदि को देय योगदान के भुगतान की देनदारी भी शामिल है, क्षतिपूर्ति, बचाव हानिरहित रखेगी।

16. <u>बौद्धिक संपदा अधिकार:</u>

16.1 एपीडा का नाम/लोगो/अन्य आईपीआर केवल एपीडा की एकमात्र और विशिष्ट संपत्ति होगी। एजेंसी और/या उनके उप-एजेंटों/उप-संविदाकारों/कर्मचारियों आदि द्वारा एपीडा के नाम/लोगो/आईपीआर के किसी भी दुरुपयोग/गलत बयानी/अनधिकृत उपयोग के लिए , एजेंसी को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

16.2 एपीडा के नाम/लोगो/आईपीआर के ऐसे किसी भी दुरुपयोग/गलत बयानी/अनधिकृत उपयोग के कारण एपीडा किसी तीसरे पक्ष को होने वाले किसी भी नुकसान या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

16.3 एजेंसी एपीडा के नाम/लोगो/आईपीआरएस के किसी भी दुरुपयोग/गलत बयानी/अनधिकृत उपयोग और/या उनके/उनके उप-एजेंटों/उप- संविदाकारों /कर्मचारियों आदि द्वारा किए गए किसी भी बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित किसी भी दावे के विरुद्ध एपीडा को क्षतिपूर्ति करेगी।

16.4 एपीडा ऐसे उल्लंघनों के लिए आवश्यक कानूनी और अन्य उपचारात्मक कार्रवाई करेगा, जो उचित समझी जाएगी।

17. <u>गोपनीयता:</u>

17.1 इस अनुबंध द्वारा अन्यथा अनुमति दिए जाने के अतिरिक्त , कोई भी पक्ष इस अनुबंध की सामग्री या दूसरे द्वारा या उसकी ओर से प्रदान की गई किसी भी जानकारी को तीसरे पक्ष को प्रकट नहीं कर सकता है जिसे उचित रूप से गोपनीय और/या मालिकाना माना जाना चाहिए। हालाँकि , पक्ष ऐसी गोपनीय जानकारी का प्रकटीकरण निम्नानुसार कर सकती हैं:

(क) जो जानकारी इस अनुबंध के उल्लंघन के अलावा किसी अन्य माध्यम से सार्वजनिक होती है,

(ख) जिसका प्राप्तकर्ता पक्ष की जानकारी के अनुसार प्रकटीकरण पक्ष के प्रति उस सूचना के लिए गोपनीयता का कोई दायित्व नहीं है,

(ग) जो जानकारी प्रकटीकरण के समय प्राप्तकर्ता पक्ष को ज्ञात थी या उसके बाद स्वतंत्र रूप से बनाई गई हो,

(घ) जो जानकारी इस अनुबंध के तहत प्राप्तकर्ता पक्ष के अधिकारों को लागू करने के लिए आवश्यक रूप से प्रकट की गई हो, या

(ड.) जो लागू कानून, कानूनी प्रक्रिया या पेशेवर नियमों के तहत प्रकट की गई हो।

17.2 ये दायित्व इस समझौते की समाप्ति की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए वैध होंगे।

18. <u>परिसमाप्त क्षति</u>

18.1. खंड "अपरिहार्य घटना" के तहत दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, यदि चयनित बोलीदाता अनुबंध में निर्दिष्ट अवधि के भीतर सेवाएं प्रदान करने में विफल रहता है , तो एपीडा अनुबंध के तहत अपने सभी अन्य उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना , वास्तविक डिलीवरी तक देरी के लिए इस दस्तावेज़ में निर्दिष्ट राशि , बोली दस्तावेज़ और/या अनुबंध में निर्दिष्ट प्रतिशत की अधिकतम कटौती तक अनुबंध मूल्य से परिसमाप्त क्षति के रूप में कटौती कर सकता है। एक बार अधिकतम सीमा तक पहुंचने पर, एपीडा अनुबंध समाप्त कर सकता है।

18.2. उल्लिखित अर्थदंडों के अतिरिक्त , एपीडा के किसी भी लिखित निर्देश का बोलीदाता द्वारा अनुपालन नहीं किया जाना और कदाचार की श्रेणी में आने पर अर्थदंड भी लगाया जाएगा और एपीडा के विवेक के अनुसार संबंधित चालान (उस तिमाही के) से उचित कटौती ली जा सकती है।

18.3. निविदा प्रपत्र में डिलीवरी के लिए निर्दिष्ट समय को अनुबंध का सार माना जाएगा और चयनित बोलीदाता निर्दिष्ट अवधि के भीतर सेवाओं की व्यवस्था करेगा।

18.4. यदि सेवा की आपूर्ति में देरी चयनित बोलीदाता के नियंत्रण से परे बाधाओं के कारण होती है , तो डिलीवरी अवधि को परिनिर्धारित क्षति के साथ या उसके बिना बढ़ाया जा सकता है।

18.5 यदि चयनित बोलीदाता निर्धारित डिलीवरी अवधि के भीतर सेवा की आपूर्ति को पूरा करने में स्वयं को असमर्थ पाता है , तो उसे सेवा की डिलीवरी अवधि बढ़ाने का कारण बताते हुए एपीडा को

लिखित रूप में अनुरोध करना होगा। यह अनुरोध सेवा की डिलीवरी में बाधा उत्पन्न होते ही या ऐसी घटना के 15 दिनों के भीतर , लेकिन सेवा की डिलीवरी की निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके बाद ऐसे अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

18.6 एपीडा सेवा की डिलीवरी में बाधा के कारणों और उसके कारण हुई देरी की अवधि के औचित्य की जांच करेगा और निर्धारित क्षति के साथ या उसके बिना विस्तार प्रदान करेगा।

18.7 यदि एपीडा डिलीवरी अवधि/शेड्यूल को बढ़ाने के लिए सहमत है, तो उपयुक्त अस्वीकार खंडों के साथ और परिनिर्धारित क्षति के साथ या उसके बिना , जैसा भी मामला हो, अनुबंध में संशोधन जारी किया जाएगा। संशोधन पत्र में उल्लेख किया जाएगा कि किसी भी कारण से सेवा की विलंबित आपूर्ति के लिए अनुबंधित लागत से परे कोई भी अतिरिक्त कीमत या अतिरिक्त लागत का भुगतान नहीं किया जाएगा।

18.8 निर्धारित डिलीवरी अवधि की समाप्ति के बाद चयनित बोलीदाता द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की आपूर्ति को स्वीकार करना या न करना एपीडा के विवेक पर निर्भर करेगा, यदि डिलीवरी अवधि में कोई औपचारिक विस्तार लागू या स्वीकृत नहीं किया गया है। एपीडा के पास अप्राप्त सेवा के संबंध में अनुबंध रद्द करने का अधिकार होगा।

18.9 यदि एपीडा को निर्धारित डिलीवरी अवधि की समाप्ति के बाद प्रदान की गई सेवा की आवश्यकता है, तो वह सेवाओं को स्वीकार कर सकता है और डिलीवरी अवधि में विस्तार का पत्र जारी कर सकता है।

18.10 यदि चयनित सर्वेक्षण एजेंसी कार्य आदेश के तहत निर्दिष्ट अवधि के भीतर असाइनमेंट पूरा करने में विफल रहती है, तो एजेंसी द्वारा खराब कार्य निषाप्दकता और कार्य निषाप्दकता में अनुचित देरी के मामले में कार्य निषाप्दकता गारंटी पूरी तरह या आंशिक रूप से जब्त की जा सकती है, इसके अलावा एपीडा द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली एजेंसी की ब्लैकलिस्टिंग सहित अन्य कार्रवाई की जा सकती है। कार्य निषाप्दकता गारंटी के आंशिक रूप से जब्त होने की स्थिति में और यदि एजेंसी असाइनमेंट पूरा करने के लिए आगे बढ़ती है , तो कार्य निषाप्दकता गारंटी को बफर करने और मूल मूल्य पर बहाल करने की आवश्यकता होगी

19. <u>देयता सीमा</u>

किसी भी स्थिति में कोई भी पक्ष परिणामी , आकस्मिक, अप्रत्यक्ष, या दंडात्मक हानि, क्षति या व्यय (लुप्त लाभ सहित) के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। चयनित बोलीदाता इस समझौता तहत भुगतान की

जाने वाली फीस के मूल्य (चालान की गई लेकिन अभी तक भुगतान नहीं की गई किसी भी राशि सहित) से अधिक के लिए यहां या इसके संबंध में (चाहे अनुबंध, अपकृत्य, कठोर दायित्व या अन्यथा) दूसरे के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

18. भुगतान की शर्तें

भुगतान की अनुसूची इस प्रकार होगी:

विवरण	समयसीमा	भुगतान
आरंभिक रिपोर्ट	30 दिन	30%
मसौदा रिपोर्ट	60 दिन	40%
अंतिम रिपोर्ट	90 दिन	30%

समयसीमा: अध्ययन प्रारंभ तिथि से 90 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा।

टिप्पणियां:

क. चयनित एजेंसी को अग्रिम भुगतान जारी करने से पहले एक क्षतिपूर्ति बांड और व्यक्तिगत गारंटी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

ख. मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में किसी भी देरी के लिए, एजेंसी पर प्रत्येक सप्ताह या उसके भाग के लिए कुल शुल्क का 1% जुर्माना लगाया जा सकता है।.

एपीडा द्वारा भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से जारी किया जाएगा। इसलिए , एजेंसी द्वारा आवेदन पत्र में ही आरटीजीएस विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

19. कार्य-निष्पादकता आश्वासन

यदि एजेंसी की कार्य-निष्पादकता कसौटी पर खरा नहीं उतरता है या किसी भी प्रकार की कमी रह जाती है/कार्य–क्षेत्र में औसत दर्जे से कम आउटपुट दिया जाता है तो अंतिम भुगतान के समय एपीडा द्वारा कुल बोली मूल्य का एक हिस्सा नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में एपीडा का निर्णय अंतिम होगा।

20. दस्तावेज़ जमा करने की समयसीमा

चयनित एजेंसी को अध्ययन सौंपे जाने की तारीख से 90 दिनों के भीतर अध्ययन पूरा करना होगा, जिसके अंत में उन्हें एपीडा को संरचित दस्तावेज़ वितरित करना होगा। इस अभ्यास के लिए अस्थायी समयसीमा निम्नानुसार दी गई है:

विवरण	**समयसीमा**
टीम संचालन और आरंभिक रिपोर्ट	T+30 दिन
मसौदा रिपोर्ट	T+60 दिन
अंतिम रिपोर्ट	T+90 दिन

T= परियोजना आरंभ तिथि

अनुलग्नक I

<u>आवेदन प्रपत्र</u>

क्र.सं.	**विवरण**	
1	आवेदक का नाम	
2	कार्यालय पता	
3	फोन नंबर	
4	ईमेल आईडी	
5	पैन नं.	
6	जीएसटी पंजीकरण सं.	
7	कृषि/बागवानी/खाद्य/कृषि व्यवसाय के क्षेत्र में परामर्श के वर्षों के अनुभव की संख्या **(दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें)**	
8	अनुभव का विवरण (**सहायक दस्तावेज़ संलग्न करें)**	

9	क्या पिछले तीन (3) वर्षों में भारतीय परिचालन से वार्षिक औसत कारोबार कम से कम 5 करोड़ रुपये है ? **(हाँ/नहीं)** सटीक राशि का भी उल्लेख करें।	
10	पिछले 3 वित्तीय वर्षों के आईटीआर **(दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें)**	
11	अध्ययन के टीम लीडर की शैक्षिक योग्यता **(दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें)**	
12	अध्ययन के टीम लीडर का कुल कार्य अनुभव (वर्षों की संख्या) **(दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें)**	
13	अध्ययन के टीम लीडर का विशिष्ट अनुभव (कृषि-व्यवसाय परामर्श के क्षेत्र में वर्षों की संख्या) **(दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें)**	
14	टीम के अन्य सदस्यों की शैक्षिक योग्यता **(दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें)**	
15	टीम के अन्य सदस्यों का कार्य अनुभव (वर्षों की सं.) **(दस्तावेजी**	

	साक्ष्य संलग्न करें)	
16	मूल्य श्रृंखला मूल्यांकन के क्षेत्र में पूर्ण किए गए अध्ययनों की संख्या **(दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें)**	
17	पिछले पांच वर्षों के भीतर कृषि विकास के क्षेत्र में भारत सरकार या किसी भी केंद्रीय सरकारी संगठन के लिए निष्पादित अध्ययन/कार्य **(दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें)**	
18	विभिन्न अंतरराष्ट्रीय देशों में कृषि और संबद्ध उत्पादों के लिए पूर्ण किए गए मूल्य श्रृंखला मूल्यांकन **(दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें)**	
19	कृषि और संबद्ध क्षेत्र के निर्यात में वृद्धि की संभावनाओं पर विकसित अध्ययन **(दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें)**	
20	क्या आवेदक को भारत में किसी केंद्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया है: हाँ/नहीं? (अगर हां तो कृपया विवरण दें।)	

21	क्या आवेदक किसी चल रहे मुकदमे में शामिल है: हाँ/नहीं? (यदि हां, तो कृपया अदालत में लंबित या मुकदमेबाजी के साथ-साथ मुकदमेबाजी के मूल्य का विवरण प्रदान करें।)	
22	क्या मुकदमेबाजी का संचयी मूल्य पिछले वित्तीय वर्ष में घोषित कुल निवल मूल्य के 10% से कम है ? (यदि लागू हो)	
23	क्या तकनीकी बोली प्रदान की गई है? (हाँ/नहीं)	
24	क्या वित्तीय बोली अलग से प्रदान की गई है? (हाँ/नहीं)	
25	क्या 2 लाख रुपये की ईएमडी प्रदान की गई है? (हाँ/नहीं)	
26	आरटीजीएस के प्रयोजन के लिए विवरण	
27	कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी (यदि आवश्यक हो तो अलग शीट संलग्न की जा सकती है)	

घोषणा

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा और पुष्टि करते हैं कि ऊपर दी गई सभी जानकारी सत्य है और कुछ भी गुप्त नहीं रखा गया है। मैं/हम इस नोटिस में उल्लिखित सामान्य नियमों और शर्तों और अन्य शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं। मैं/हम एपीडा द्वारा सौंपे गए कार्य के बारे में उचित गोपनीयता बनाए रखने का भी वचन देते हैं। मैं/हम यह भी समझते हैं कि यदि किसी भी समय , मैं/हम कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाते/विकृत करते पाए जाते हैं या एपीडा के हित के विरुद्ध कोई कार्य या चूक करते पाए जाते हैं , तो मेरा अनुबंध मुझे/हमें बिना किसी नोटिस के पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा।

हस्ताक्षर

(हस्ताक्षरकर्ता का नाम)

(निदेशक/प्रबंध निदेशक/एजेंसी का प्रमुख हो)

पदनाम:

स्थान:

तिथि:

ई-मेल आईडी:

पता:

टेलीफोन नंबर:

मोबाइल नंबर:

*किसी भी भ्रांति की स्थिति में अंग्रेजी को वरीयता दी जाएगा।